राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1606/2020
योगेन्द्र सिंह सोलंकी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचातीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचातीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक राजस्थान।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवली, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.डी. खण्डेलवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी ने मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 25.02.2006 को जिला परिषद टोंक की ओर से जिला स्थापना समिति, जिला परिषद की बैठक दिनांक 25.02.2006 के निर्णय के अनुसार अपीलार्थी व 6 अन्य व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का आदेश पारित किया। इसके पश्चात अपीलार्थी के प्रकरण को स्थगित रखा गया और मामलें को पंचायतीराज विभाग को भिजवाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। अन्य आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये परन्तु अपीलार्थी के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश प्रदान नहीं किये गये, जिस पर अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 5775/2019 प्रस्तुत की थी। कालान्तर में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.02.2010 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर पंचायत समिति देवली, टोंक के आदेश द्वारा नियुक्ति प्रदान की गयी। इसके

उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील इस आधार पर निर्णित की गयी कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करेगा। अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की कि अपीलार्थी के समतुल्य अभ्यर्थी नरेन्द्र कुमार को जो परिलाभ, वेतन भत्ते एवं वरियता आदि मिले है, वह सम्पूर्ण ऐरियर राशि व वरियता अपीलार्थी को भी प्रदान की जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी और नरेन्द्र कुमार दोनों को आदेश दिनांक 25.02.2006 के द्वारा नियुक्ति दिये जाने का आदेश जिला परिषद टोंक ने पारित किया था, परन्तु अपीलार्थी के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश चार वर्ष पश्चात दिनांक 22.02.2010 को पंचायत समिति देवली टोंक ने पारित किये, जबकि अपीलार्थी के साथ एक अन्य व्यक्ति नरेन्द्र कुमार को वर्ष 2006 में नियुक्ति प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये थे। नरेन्द्र कुमार को 2006 में नियुक्ति दी गई और अपीलार्थी को वर्ष 2010 में नियुक्ति दी गई। ऐसे में अपीलार्थी भी नरेन्द्र कुमार के समान वर्ष 2006 से वरीयता एवं समस्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों ने विभिन्न विनिश्चयो मे यह अभिनिर्धारित किया है कि Compassionate Appointment Not A Matter Of Right अपीलाथी ने अनावश्यक लाभ प्राप्ति के प्रयास मे बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लगभग 10 वर्ष के लम्बे विलम्ब के बाद बिना बिलम्ब क्षम्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना, उक्त निरर्थक अपील माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है जो कि मय कोस्ट के काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान मृत कर्मचारी के आश्रितो के अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 यथा संशोधित नियमो की अनुपालना के तहत् जिला परिषद टोंक के आदेश 363 दिनांक 22.02.2010 के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए प्रथम नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए पंचायत समिति देवली को निर्देशित किया गया तद्मसार जिला परिषद टोंक के आदेशो की कियान्विति एवं अनुपालना मे पंचायत समिति देवली जिला

टोंक द्वारा आदेश 317 दिनांक 22.02.2010 जारी कर अपीलाथी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई नियुक्ति आदेशो मे वर्णित शर्तो को अंगीकार एवं स्वीकार कर अपीलार्थी कार्यभार ग्रहण कर वर्ष 2010 से कार्यरत एवं पदस्थापित है तथा बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए उक्त निरर्थक अपील अनावश्यक लाभ प्राप्ति के प्रयास मे प्रस्तुत की गई है जो कि मय कोस्ट के काबिल निरस्त योग्य है। मृत राज्य कर्मचारी का आश्रित होने के आधार पर दिनांक 25.02.2006 को जारी आदेश के मुताबिक इसी तिथी को हुई नियुक्ति को मानकर तमाम सेवा सम्बन्धी वेतन भत्ते एवं परिलाभ आदि दिलवाये जाने का अनुरोध किया है जब कि वास्तविकता यह है कि जिला परिषद टोंक के आदेश 410 दिनांक 27.02.2006 के द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर दिये जाने से दिनांक 25.02.2006 का आदेश वर्तमान प्रभाव मे नही है होने तथा अनावश्यक लाभ प्राप्ति के प्रयास मे अपीलार्थी ने उक्त निरर्थक अपील समक्ष प्रस्तुत की गई है जो कि मय कोस्ट के निरस्त योग्य है। राजस्थान मृत कर्मचारी के आश्रितो के अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 यथा संशोधित नियमो की अनुपालना और राज्य सरकार स्तर से आवश्यक औपचारिकता बाद जिला परिषद टोंक के आदेश 363 दिनांक 22.02.2010 के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए प्रथम नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए पंचायत समिति देवली को निर्देशित किया गया तद्मसार जिला परिषद टोंक के आदेशो की कियान्विति एवं अनुपालना मे पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा आदेश 317 दिनांक 22.02.2010 जारी कर अपीलाथी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई की पदौन्नति कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर जिला परिषद टोंक की स्थापना समिति के निर्णय दिनांक 05.04.2021 की अनुपालना मे हुई तद्नुसार प्रार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत एवं पदस्थापित है उक्तानुसार उक्त अपील उक्त पदौन्नति के कम मे निरर्थक और बलहीन होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाई जावे।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. इस अपील के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो अभ्यावेदन दिनांक 27.12.2013 प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया था उस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.12.2013 में यह स्पष्ट किया गया था कि

अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग विचार कर उस पर निर्णय पारित करेगा। हम यह भी पाते है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी अभी तक प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में इस अपील का निस्तारण गुणावगुण पर टिप्पणी बगैर इस आधार पर किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन दिनांक 27.12.2013 पर विचार कर आख्यात्मक आदेश पारित करें। इस आदेश की पालना 2 माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)